

दिशा-निर्देश Guidelines:

1. मुख्यालय और उनके गृह नगर के बीच की दूरी चाहे जो भी हो, यह लाभ सभी नियमित कर्मचारियों को मिलेगा। यह लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने यात्रा की तारीख तक एक वर्ष की सेवा पूरी की हो।

Admissible to all regular employees irrespective of the distance between headquarters and their home towns. Admissible only to those who have completed one year of service on the date of journey.

2. कृपया एलटीसी के लिए आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता जांच लें। गृह नगर के लिए एलटीसी दो वर्षों के एक ब्लॉक में एक बार लिया जा सकता है, और भारत के किसी भी स्थान के लिए एलटीसी चार वर्षों के एक ब्लॉक में एक बार लिया जा सकता है, यानी ब्लॉक वर्ष 2022-2025।

Please check your eligibility before applying to LTC. LTC to Hometown can be availed once in a Block of two years and LTC to any place in India may be availed once in a block of four Block i.e. Block year 2022-2025

3. नियमित सेवा के एक वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद, नए भर्ती कर्मचारियों को एलटीसी नियमों के तहत कैलेंडर वर्ष के आधार पर आठ अवसरों पर यात्रा करने का लाभ मिलेगा, जैसे कि:

- पहले तीन अवसर गृह नगर के लिए
- चौथा अवसर भारत के किसी भी स्थान के लिए
- पांचवे, छठे और सातवें अवसर गृह नगर के लिए; और
- आठवां अवसर भारत के किसी भी स्थान के लिए

यह सुविधा नए भर्ती कर्मचारियों को केवल उनके सरकारी सेवा में पहले आठ वर्षों के दौरान ही उपलब्ध होगी।

After completion of one year of regular service, Fresh recruits are eligible to travel on eight occasions on calendar year basis under LTC rules, as under:

- a. first three occasions to Home Town
- b. fourth occasion to All India
- c. fifth, sixth and seventh occasions to Home Town; and
- d. eighth occasion to All India

This facility shall be available to the fresh recruits only for the first eight years applicable after joining the Government for the first time.

4. नए भर्ती कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ गृह नगर यात्रा करने के लिए चार वर्षों के ब्लॉक में तीन अवसर दिए जाते हैं, और चौथे अवसर पर भारत के किसी भी स्थान की यात्रा की जा सकती है। यह सुविधा नए भर्ती कर्मचारियों को केवल सेवा में पहले दो चार-वर्षों के ब्लॉक के दौरान उपलब्ध होगी। पहले दो चार-वर्षों के ब्लॉक की गणना कर्मचारी द्वारा सेवा में शामिल होने की प्रारंभिक तिथि से की जाएगी, भले ही कर्मचारी बाद में सरकार में कहीं और कार्यरत हो जाए। हालांकि, CCS (LTC) नियम 1988 के नियम 7 के अनुसार, एक नए भर्ती कर्मचारी का एलटीसी हक कैलेंडर वर्ष के हिसाब से एक वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने की तिथि से शुरू किया जाएगा। नए भर्ती कर्मचारियों के मामले में, अगले वर्ष में एलटीसी का शेष नहीं लिया जा सकता क्योंकि उन्हें प्रत्येक वर्ष एलटीसी का हक प्राप्त होता है। इसलिए, यदि कोई नया भर्ती कर्मचारी किसी वर्ष में एलटीसी सुविधा का लाभ नहीं उठाता है, तो उस वर्ष के अंत में उनका एलटीसी समाप्त माना जाएगा।

Fresh Recruits are allowed to travel to their home town along with their families on three occasions in block of four years and to any place in India on the fourth occasion. This facility shall be available to the fresh recruits only for the first two blocks of four year applicable after joining the service for the first time. The First two blocks of four years shall apply with reference to the initial date of joining the service even though the employee may change the job within the Government subsequently. However, as per Rule 7 of CCS (LTC) rules, 1988, the

LTC entitlement of a fresh recruit will be calculated calendar year-wise with effect from the date of completion of one year of regular service. No carryover of LTC to the next year is not allowed in case of a fresh recruit as he already entitled to every year LTC. Hence, if a fresh recruit does not avail for the LTC facility in any year, their LTC will deem to have lapsed with the end of that year.

5. एलटीसी योजना के तहत पुनः भुगतान में आकस्मिक खर्च और स्थानीय यात्रा पर होने वाला खर्च शामिल नहीं है। यात्रा के खर्च का पुनः भुगतान केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा सबसे छोटे और सीधे मार्ग पर यात्रा टिकट के आधार पर ही किया जाएगा।

Reimbursement under LTC scheme doesn't cover incidental expenses and expenditure incurred on local journeys. Reimbursement of expenses of journey is allowed only on the basis of point to point journey on through ticket over the shortest direct route.

6. अग्रिम राशि के समायोजन का दावा निर्धारित प्रपत्र में वापसी यात्रा पूरी होने के एक महीने के भीतर या तुरंत प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि एलटीसी के लिए अग्रिम राशि प्रदान करने के नियमों का उल्लंघन किया गया है, तो सक्षम प्राधिकारी दंडात्मक ब्याज, अर्थात् भविष्य निधि शेष पर सरकार द्वारा अनुमत ब्याज दर से 2% अधिक, वसूल करेगा - नियम 15, जीआईडी (6)। कर्मचारी से यह भी अनुरोध है कि वह केंद्रीय सिविल सेवा (एलटीसी) 1998 के नियमों के अनुसार दावे के समर्थन में हवाई/रेल/बस टिकट आदि द्वारा वास्तव में यात्रा करने का प्रमाण प्रस्तुत करें।

The claims in adjustment of the advance should be preferred in the prescribed form within one month of the completion for the return journey or immediately. If the rules for granting advances for LTC have been violated, the Competent Authority shall charge penal interest, i.e. 2% above the rate of interest allowed by Government on Provident Fund balances -Rule 15, GID (6). Employee is also requested to produce the evidence for having actually performed journey by Air/Train/Bus tickets etc. In support of the claim as per rules of central civil Services(LTC) 1998

7. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी अपनी पात्रता के अनुसार एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि वापसी यात्रा उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले पूरी की जाए। सेवानिवृत्त होने के बाद एलटीसी का लाभ नहीं लिया जा सकता।

The retiring employees are eligible to avail LTC as per their entitlements provided that the return journey is performed before their date of retirement, LTC is not allowed after retirement.

8. यदि कर्मचारी भारतीय एयरलाइंस द्वारा सबसे लंबे मार्ग से यात्रा करते हैं, तो यात्रा खर्च केवल रेल या बस के सबसे छोटे मार्ग के किराए तक सीमित रहेगा, जैसा कि नियम (f) GID(5) में निर्धारित है।

If the employee travels by longest route by Indian airlines, then the travel expenses strictly restricted to the shortest route by train or bus fare as per rule(f) GID(5).

9. इस संदर्भ में, यदि कर्मचारी को अग्रिम राशि मंजूर की जाती है, तो उसे अग्रिम राशि प्राप्त करने के दस (10) दिनों के भीतर बस/रेल/हवाई टिकट प्रस्तुत करना होगा।

In this connection if an advance amount is sanctioned to the employee, he / she should produce bus/train/air ticket within ten (10) days of drawal of the advance.

10. एलटीसी के संदर्भ में हवाई यात्रा के सभी मामलों में, हवाई टिकट केवल तीन अधिकृत यात्रा एजेंटों (ATA) से खरीदी जाएंगी, जो निम्नलिखित हैं:

(क) बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड

(ख) अशोक ट्रेवल्स एवं टूर (ATT)

(ग) भारतीय रेलवे कंटेनिंग और टूर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC)

In all cases of air travel in respect of LTC, air tickets shall be purchased only from the three Authorized Travel Agents (ATA) namely:

- (a) M/s Balmer Lawrie & Company Limited (BLCL)
- (b) M/s Ashok Travels & Tours (ATT)
- (c) Indian Railways Catering and Tours Corporation LTD. (IRCTC)

11. यात्रा एजेंट का चयन, तीनों अधिकृत यात्रा एजेंटों में से टिकट बुकिंग के लिए, मंत्रालय/विभाग और अधिकारी पर छोड़ा गया है, यदि स्वयं बुकिंग की जाए, यह सुविधा और सेवा गुणवत्ता के आधार पर होगा।

The choice of the travel agent for booking of ticket from the three authorized travel agents is left upon to the Ministry/Department and the official in case of self booking, based on convenience and service quality.

12. "परिवार" का मतलब है सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति, दो जीवित अविवाहित बच्चे या सौतेले बच्चे, जो पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हों, चाहे वे सरकारी कर्मचारी के साथ रहते हों या नहीं। "निर्भरता" की शर्त सरकारी कर्मचारी के पति/पत्नी पर लागू नहीं होती है। "निर्भरता" निर्धारित करने के लिए, सभी स्रोतों से आय उस परिवार पेंशन से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, अर्थात् ₹9,000/- प्रति माह और उसका महंगाई भत्ता - नियम 4(d) और व्याख्या 5 तथा GID (2) के अनुसार।

The term "family" means a Government servant's wife / husband, two surviving unmarried children or stepchildren, wholly dependent upon the Government servant, whether they are residing with the Government servant or not. The "dependency" condition does NOT apply to the Government servant's spouse. For deciding the "dependency", income from all sources should not exceed the amount of Family Pension prescribed in Central Government i.e Rs. 9,000/- p.m and Dearness Relief there of-Rule 4(d) and explanation 5 and GID (2).

13. परिवार की परिभाषा में शामिल रिश्ते:

- पति/पत्नी (पति और पत्नी)
- दो जीवित अविवाहित बच्चे, जिनमें सौतेले बच्चे और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे शामिल हैं,
- तलाकशुदा/त्यागी/पति से अलग हुई/विधवा बेटी(याँ), जो पूरी तरह से निर्भर हैं और सरकारी कर्मचारी के साथ रहती हैं।
- दूसरे बच्चे के जन्म के कारण दो से अधिक बच्चे (अत्यधिक विशेष मामलों में, जब कई बच्चे एक साथ जन्म लें)।
- माता-पिता और सौतेले माता-पिता, जो पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हैं, चाहे वे सरकारी कर्मचारी के साथ रहते हों या नहीं।
- भाई-बहन (अविवाहित छोटे भाई और अविवाहित/तलाकशुदा/त्यागी/अलग हुई/विधवा बहनें), जो सरकारी कर्मचारी के साथ रहती हैं और पूरी तरह से निर्भर हैं, बशर्ते उनके माता-पिता या तो जीवित न हों या स्वयं सरकारी कर्मचारी पर पूरी तरह निर्भर हों।

Relations included in the definition of Family:

- a) Spouse (Husband & Wife)
- b) Two eldest surviving unmarried children including step children and legally adopted children, and
- c) Divorced / abandoned / separated from husband / widowed daughter(s) wholly dependent and residing with Government employee.
- d) Children exceeding two as a result of second child birth resulting in multiple births (in exceptional case)
- e) Parents and step parents, who are wholly dependent on the Government employee, irrespective of whether they are residing with the Government servant or not.

- f) Siblings (unmarried minor brothers and unmarried/ divorced/ abandoned/ separated/ widowed sisters) residing with and wholly dependent on the Government employee, provided that their parents are either not alive or are themselves wholly dependent on the Government employee.

14. एलटीसी योजना के तहत पुनः भुगतान में आकस्मिक खर्च और स्थानीय यात्रा पर होने वाला खर्च शामिल नहीं है। यात्रा के खर्च का पुनः भुगतान केवल प्वाइंट-टू-प्वाइंट यात्रा पर, सबसे छोटे और सीधे मार्ग पर यात्रा टिकट के आधार पर किया जाएगा। (CCS (LTC) नियम, 1988 का नियम 13)

Reimbursement under LTC scheme does not cover incidental expenses and expenditure incurred on local journeys. Reimbursement for expenses of journey is allowed only on the basis of a point to point journey on a through ticket over the shortest direct route. (Rule 13 of CCS(LTC) Rules, 1988)

15. नियमित / आकस्मिक / विशेष आकस्मिक अवकाश, अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश के दौरान पात्र है। केवल छुट्टियों (शनिवार, रविवार) के दौरान पात्र नहीं है।

Admissible during regular / casual / special casual leave, Study Leave, Maternity Leave and during Paternity Leave. Not admissible during holidays (Saturday, Sunday) alone.

16. परिवार के सदस्य किसी भी संख्या में अलग-अलग समूहों में यात्रा कर सकते हैं। प्रत्येक समूह की वापसी यात्रा उस समूह की बाहर जाने वाली यात्रा की शुरुआत से छह महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। इस शर्त को विशेष मामलों में विभाग प्रमुख द्वारा ढीला किया जा सकता है।

Family members may travel independently in any number of batches. The return of each group must be completed within six months from commencement of that group's outward journey. This condition may be relaxed by the Head of the Department in special cases.

17. पुनर्भुगतान उस वर्ग की निर्धारित राशि या वास्तव में यात्रा किए गए वर्ग के अनुसार किया जाएगा, जो भी कम हो।

Reimbursement allowed by the entitled class or actually travelled class whichever is less.

18. कर्मचारियों को अपनी पात्र यात्रा श्रेणी में सबसे सस्ती हवाई यात्रा का चुनाव करना होगा, जो उपलब्ध सर्वोत्तम किराया हो, और बुकिंग के समय यदि संभव हो तो सीधी उड़ान (बिना रुके) चुननी होगी:

क) यात्रा के दिन निम्नलिखित 3 घंटे के स्लॉट में से किसी एक स्लॉट में यात्रा की जाएगी: 00:00 से 03:00, 03:00 से 06:00, 06:00 से 09:00, 09:00 से 12:00, 12:00 से 15:00, 15:00 से 18:00, 18:00 से 21:00, 21:00 से 24:00।

ख) सुविधा और आराम के लिए 10% मूल्य सीमा के भीतर अनुकूलन की व्यवस्था।

Employees are to choose flight having the Best Available Fare on their entitled travel class which is the Cheapest Fare available, preferably for Non-Stop flight in a given slot at the time of booking: -

a) On the day of travel in the desired 3 hours slot of following time band-00.00 to 03.00, 03.00 to 06.00, 06.00 to 09.00, 09.00 to 12.00, 12.00 to 15.00, 15.00 to 18.00, 18.00 to 21.00, 21.00 to 24.00

b) With provision of optimizing within a 10% price band, for convenience and comfort.

19. कर्मचारियों को यात्रा या एलटीसी के लिए निर्धारित यात्रा तिथि से कम से कम 21 दिन पहले हवाई टिकट बुक करने की **सलाह** दी जाती है, ताकि सबसे सस्ती दरों का लाभ उठाया जा सके और सरकारी खजाने पर बोझ कम किया जा सके। यात्रा कार्यक्रम की मंजूरी अभी प्रक्रिया में हो, फिर भी बुकिंग की जा सकती है।

Employees are encouraged to book flight tickets at least 21 days prior to the intended date of travel on tour and LTC, to avail the most competitive fares and minimize burden on the

exchequer. Bookings may be made even if the approval of the tour programme is still under process.

20. कर्मचारियों को अपनी एलटीसी दावों को निम्नलिखित निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करना होगा:

1. यदि अग्रिम राशि ली गई हो, तो पुनः भुगतान का दावा वापसी यात्रा पूरी होने के एक महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए; और

2. यदि अग्रिम राशि नहीं ली गई हो, तो खर्च किए गए धन का दावा वापसी यात्रा पूरी होने के तीन महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

हालांकि, संबंधित मंत्रालय/विभाग वित्तीय सलाहकार की सहमति से दावों को DoP&T से संदर्भ किए बिना स्वीकार कर सकते हैं, जैसा कि O.M. संख्या 31011/3/2015-Estt.A-IV, दिनांक 21.12.2023 में उल्लेखित है।

The employees are required to submit their LTC claims in the prescribed time period as mentioned below:

1. Where advance has been drawn, the claim for reimbursement shall be submitted within one month of the completion of the return journey; and

2. Where no advance has been drawn, the expenditure incurred shall be submitted within three months of the completion of the return journey.

However, the Ministry/Department concerned with the concurrence of Financial Advisor can admit the claims without reference to DoP&T as per O.M. No. 31011/3/2015-Estt.A-IV dated 21.12.2023

21. राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों के अलावा, एलटीसी के तहत तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति है, जो पात्रता के अनुसार है। [O.M. संख्या 31011/03/2022-PP A-IV, दिनांक 14.01.2025]

Apart from Rajdhani, Shatabdi & Durgam Chattri trains, travel by Tejas Express, Vande Bharat Express and Humsafar Express trains under LTC is allowed, as per entitlement. [O.M. No. 31011/03/2022-PP A-IV, dated 14.01.2025].

22. सभी अन्य दिशा-निर्देश सी.सी.एस. अवकाश-सह-भ्रमण रियायत नियम, 1988 और उसके संशोधनों के अनुसार होंगे।

All other guidelines shall be in accordance with the rules mentioned in the CCS Leave Travel Concessions Rules, 1988, and its amendments.